



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-3/2025-26/2393

दिनांक:- 18-11-25

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषय:- वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या : /XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक : 02.05.2025 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक: 01 जनवरी 2025 से 53% महंगाई के स्थान पर 55 प्रतिमाह की स्वीकृति के संबंध में।

- संदर्भ:- (I) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखंड शासनादेश/डी.आर.-55/2025-26/1058 दिनांक 27.10.2025
- (II) उत्तराखंड शासन वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या-/XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक 02.05.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के साथ संलग्न संदर्भित शासनादेश क्रमांक (2) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/Gwalior-ii/en> पर उपलब्ध है।

[Handwritten Signature]

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-2/2025-26/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून-248195
पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखंड शासनादेश/डी आर.-55/2025-26/1058
दिनांक 27.10.2025 के संबंध में सूचनार्थ।

[Handwritten Signature]

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

“ऑडिट भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

R-8649

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-55/2025-26/1058

दिनांक: 27/10/2025

सेवा में,

114801

SP- 838,371,232

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	बिहार	पटना	800301
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)-I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)-II गोमती नगर	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्या. महालेखाकार (लेखा एवं हक.दारी) उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-55/2025-26/1058

पंजीकृत

07 NOV 2025

PA

Sh. Madan

10/11/25

DA-77
10/11/25

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

“ऑडिट भवन” कौलागढ, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

“संशोधित विशेष मुद्रा प्राधिकार”

पत्रांक:पी.ए./पेंशन /उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०55 / 2025-26/ दिनांक: /10/2025

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय।

विषय-वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:/XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक: 02.05.2025 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक:01 जनवरी 2025 से 53% मंहगाई के स्थान पर 55 प्रतिमाह की स्वीकृति के संबंध में।

सन्दर्भ-अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त (पेंशन)अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या /XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक: 02.05.2025 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-पी.पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी.आर-46/2025-26/808-839 दिनांक:09.09.2025 द्वारा त्रुटिवश उत्तराखण्ड राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के स्थान पर सरकारी सेवको के लिए जारी शासनादेश निर्गत हो गया था।

इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी किये गए पत्रांक-पी.पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी.आर-46/2025-26/808-839 दिनांक:09.09.2025 के स्थान पर सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार को पत्रांक: पी.ए./पेंशन /उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०55/ 2025-26/ दिनांक:27.10.2025 के माध्यम से संशोधित विशेष मुद्रा प्राधिकार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: /XXVII(10)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: अप्रैल, 2025

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No- /XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated April, 2024

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-250642/XXVII(10)/E-2807/2022, दिनांक-29.10.2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2025 से 53% प्रतिशत के स्थान पर 55% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2025 @ 55% instead of 53% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 250642/XXVII (10)/E-22807/2022 Dated 29.10.2024 March, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Sector Undertakings etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस /10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the

DR-SS
dt 16/12/25

नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(डा० वी० षण्मुगम)
सचिव।

संख्या- / XXVII(10)/E-22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस

payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 02-05-2025
12:13:09
(Dr. V. Shanmugam)
Secretary.

No. / XXVII(10)/E-22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Utrrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with

आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

By Order,

(अमिता जोशी)

(Amita Joshi)

अपर सचिव।

Additional Secretary.